"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

आदेश

क्रमांक 2131/एफ 21/08/2009/13/2/ऊ. वि./कृ. जी. ज्यो. यो . —– राज्य शासन द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कृषकों के 05 हार्स पॉवर तक के कृषि पम्प कनेक्शन अंतर्गत निर्धारित सीमा तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की योजना दिनांक 02 अक्टूबर, 2009 से प्रभावशील की गई है । राज्य शासन द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं में और विस्तार करते हुए किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत सप्लाई प्राप्त करने का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है ।

तदानुसार विभाग के आदेश क्र. 1305/एफ 21/08/2009/13/2 ऊ. वि./कृ. जी. ज्यो. यो. दिनांक 22-06-2012 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश आगामी आदेश तक जारी किए जाते हैं :-

1. **पात्रता :-**

1.1. प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य के 5 एचपी तक के एक कृषि पंप कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता होगी ।

1.2 हितग्राही पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का बकाया नहीं होना चाहिए । भुगतान बकाया होने पर योजना की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.3 योजना में अस्थाई एवं स्थाई दोनों पात्र कृषि पंप कनेक्शन उपभोक्ता शामिल होंगे।

1.4 राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी–नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर पंप ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के कृषि पंप कनेक्शन योजना में सम्मिलित होंगे।

1.5 उपरोक्तानुसार पात्रताधारित कृषक को योजनांतर्गत फलैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी रहेगा।

2. **सुविधाएं**:– योजना में पात्रताधारित अस्थाई/स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन उपभोक्ता को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावेंगी:–

2.1 **फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले कृषकों द्वारा देय राशि** :–

(i) फ्लैट रेट हेतु कृषक को छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह की 30 तारीख तक लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ii) चूंकि फ्लैट रेट का विकल्प चुनने की सुविधा प्रथम बार माह सितम्बर में प्रभावशील की जा रही है अतः अपवाद स्वरूप वित्तीय वर्ष 2013–14 में फलैट रेट के विकल्प का आवेदन 31 अक्टूबर 2013 तक जमा किया जा सकेगा।

(iii) यदि उपरोक्त निर्धारित तिथि तक किसी कृषक से फलैट रेट का विकल्प चुनने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की वह (कृषक) प्रभावशील टैरिफ में अधिसूचित ऊर्जा प्रभार के मान से बिजली प्राप्त करने के लिए इच्छुक है।

(iv) प्राप्त विकल्प को मान्य किए जाने की तारीख से विकल्प चुनने वाले कृषक को रूपये 100 प्रति एचपी प्रतिमाह के मान से बिलिंग की जाएगी, जिसका भुगतान उक्त कृषक को प्रत्येक माह करना होगा।

(v) विकल्प चुनने वाले कृषक को योजना के अंतर्गत 3 एचपी तक के कनेक्शन पर 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 एचपी से अधिक परंतु 5 एचपी तक के कनेक्शन पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष खपत की सीमा लागू नहीं रहेगी अर्थात बिना किसी खपत की सीमा के उक्त कृषक को सरल क्रमांक (iv) के अनुसार ऊर्जा प्रभार का प्रत्येक माह भुगतान करना होगा ।

2.2 **फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुनने वाले कृषकों द्वारा देय राशि** :–

(i) ऐसे कृषक जिनके द्वारा कंडिका–2.1 में (i) तथा (ii) में निर्धारित अवधि में फलैट रेट चुनने का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें निम्नानुसार निर्धारित खपत की सीमा में विद्युत की खपत किए जाने पर ऊर्जा प्रभार में भुगतान से छूट होगी:–

कृषि पंप की क्षमता	निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत खपत की सीमा
3 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 6,000 यूनिट तक
3 एचपी से अधिक परंतु 5 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 7,500 यूनिट तक

(ii) उक्त खपत की सीमा से अधिक खपत की गई बिजली के यूनिटों पर प्रभावशील टेरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार की दर से ऊर्जा प्रभार की बिलिंग की जाएगी। बिलिंग की गई राशि का भुगतान संबंधित माह में कृषक द्वारा किया जाएगा।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये कृषि पम्प कनेक्शन के अंतर्गत की गई विद्युत खपत पर अधिकतम सीमा नही रहेगी अर्थात उनके द्वारा खपत की गई सम्पूर्ण विद्युत पर ऊर्जा प्रभार के भुगतान से छूट होगी।

2.3 **योजना अंतर्गत, फ्लैट रेट के विकल्प अथवा वर्तमान में प्रचलित प्रावधान, के अंतर्गत बिजली प्राप्त करने वाले कृषकों को निम्नानुसार सुविधाएं एक समान रूप से मिलेंगी :–**

2.3.1 <u>मीटर किराया में छूटः</u>– योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत मीटर किराया के भुगतान से छूट होगी।

2.3.2 <u>नियत प्रभार (फिक्सड चार्जेस) में छूटः</u>– योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत नियत प्रभार (फिक्सड चार्जेस) के भुगतान से छूट होगी।

2.3.3 <u>विद्युत शुल्क में छूटः</u>– योजना में सम्मिलित हितग्राही के कृषि पंप कनेक्शन के अंतर्गत एक 20 वॉट के सी.एफ.एल. बल्ब (पायलट लैंप) की विद्युत खपत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

2.3.4 <u>ऊर्जा विकास उपकर में छूटः–</u> छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास उपकर संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत इस योजना के पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट का लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होगा।

3. <u>योजना की शर्तें</u> :–

3.1 निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को रहेगी जिनके द्वारा अधिकतम पांच हार्स पॉवर तक के पंप का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जायेगा।

3.2 योजनांतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को निःशुल्क विद्युत प्रदाय प्राप्त करने की सुविधा रहेगी।

3.3 निर्धारित सीमा तक निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता ऐसे कृषक हितग्राहियों को भी प्राप्त होगी जो शासकीय या निजी सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत अधिकतम 05 एचपी क्षमता के सिंचाई पम्प कनेक्शन का उपयोग सिंचाई हेतु कर रहें हैं। लेकिन निःशुल्क विद्युत खपत की सीमा में योजना में शामिल समस्त पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किए जा रहे पंप की क्षमता के अनुसार आंकलित सीमा अनुसार रहेगी।

3.4 वार्षिक विद्युत खपत की सीमा की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में की जावेगी। फलैट रेट नहीं चुनने वाले कृषकों की विद्युत खपत के आधार पर किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता द्वारा विद्युत की सकल खपत निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक की जाती है, तो ऐसी अवस्था में यथा स्थिति 6,000 अथवा 7,500 यूनिटों से अधिक खपत की गई यूनिटों पर प्रभावशील विद्युत दर अनुसार विद्युत देयक जारी किये जायेंगे जिनका भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करना होगा।

3.5 फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को फलैट रेट पर रू0 100 प्रतिमाह प्रति एचपी की दर से विद्युत देयक जारी किए जायेंगे जिनका भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करना होगा।

3.6 योजनांतर्गत फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले प्रत्येक कृषक को फलैट रेट के स्थान पर पुनः मीटर में दर्ज खपत अनुसार ऊर्जा प्रभार के भुगतान की सुविधा उनके विकल्प को मान्य किये जाने की तारीख से 01 वर्ष उपरांत मिल सकेगी लेकिन इस हेतु संबंधित किसान को पुनः लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3.7 **योजनांतर्गत कृषकों द्वारा स्थापित किए जा रहे कृषि सिंचाई पंप के लिए निम्नानुसार मापदण्डों का संतुष्ट करना आवश्यक है:–**

(i) योजना अंतर्गत कृषकों द्वारा स्थापित 2 एचपी तक के सिंगल फेस कृषि पंपों का केवल आई.एस.आई. मार्का होना पर्याप्त होगा। कृषकों द्वारा दो एचपी से अधिक क्षमता के स्थापित कृषि पंप ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा प्रमाणित स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पंप सेट होना अनिवार्य होगा।

(ii) योजना अंतर्गत स्थापित समस्त कृषि पंपों के साथ पी.व्ही.सी. सक्शन पाईप, घर्षणरहित फुटवाल्व तथा उपयुक्त क्षमता का केपेसिटर लगाना अनिवार्य होगा।

3.8 ऐसे पात्र कृषक जिनके कृषि पम्प वर्तमान में ऊर्जीकृत है, को योजना लागू करने की तिथि अर्थात 2 अक्टूबर, 2009 से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि या पम्प बदलने की अवस्था में जो भी पहले हो,

(i) पुराने नॉन आईएसआई सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) के बदले केवल आईएसआई मार्का सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) स्थापित करना होगा,

(ii) ऊपर क्रमांक (i) को छोड़कर अन्य सभी पुराने कृषि पम्पों के बदले ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पम्प सेस्ट्स स्थापित करना होगा,

(iii) वर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईप लाइन को पी.व्ही.सी. सक्शन पाईप, सामान्य फुटवाल्व को घर्षण रहित फुटवाल्व से बदलना होगा एवं उपयुक्त क्षमता का केपीसीटर स्थापित करना होगा,

3.9 योजनांतर्गत निःशुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सिंचाई पंप उपभोक्ता को पायलट लैम्प लगाने की सुविधा अधिकतम 20 वाट तक के सी.एफ.एल. बल्व के उपयोग पर ही दी जाएगी।

3.10 ऐसे पात्र कृषक उपभोक्ताओं, जिन पर विद्युत देयक राशि का भुगतान बकाया हो, को इस योजना के अंतर्गत सुविधा/लाभ की पात्रता बकाया राशि के भुगतान उपरांत ही मिलेगी।

3.11 योजना अंतर्गत शासकीय, अर्द्ध शासकीय कृषि फार्म हाऊस, नगर निगम/निगमों व सार्वजनिक उपक्रम/उपक्रमों को निःशुल्क विद्युत की पात्रता नहीं रहेगी।

3.12 योजना अंतर्गत राज्य में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी–नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के पंप कनेक्शन पर पात्रता की सीमा में ऊर्जा प्रभार, मीटर किराया, फिक्सड चार्जेस के भुगतान से छूट की सुविधा रहेगी।

3.13 उपरोक्तानुसार शर्तों के अधीन प्रभावशील कृषक जीवन ज्योति योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित कृषक को दी जा रही सुविधा की पात्रता तत्काल समाप्त हो जायेगी।

4. योजना हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान की स्वीकृति की प्रक्रिया :–

4.1 योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषि पंप उपभोक्ता को प्रति वर्ष 3 एचपी तक के कनेक्शन पर 6,000 यूनिट तथा 3 से 5 एचपी के कनेक्शन पर 7,500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा देने के फलस्वरूप विद्युत वितरण कंपनी पर उर्जा प्रभार के मद में पड़ने वाले वित्तीय भार का आंकलन राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत दरों के अनुसार किया जाएगा। तदानुसार आंकलित वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में अनुदान का प्रावधान कर उक्त अनुदान का अग्रिम भुगतान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2 योजना अंतर्गत मीटर किराया, नियत प्रभार (फिक्स चार्जेस) के मद में पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन कुल सिंचाई पंप कनेक्शन के आधार पर टेरिफ में अधिसूचित मीटर किराया, नियत प्रभार (फिक्स चार्जेस) के मान से किया जाएगा ।

4.3 कंडिका 4.1 एवं 4.2 के अनुसार आंकलित अनुदान की राशि के योग के अनुसार अनुदान की मांग की जावेगी जिसका प्रावधान राज्य के बजट में किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति अनुसार किश्तों में अग्रिम राशि विमुक्त की जा सकेगी ।

5 राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान के व्यय की पुष्टि में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया :–

5.1 ऊर्जा प्रभार के मद में प्राप्त अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्रः–

5.1.1 फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र 03 एचपी तक के कनेक्शनों की संख्या के अनुसार 6,000 यूनिट पर तथा 03 एचपी से अधिक परंतु 05 एचपी तक के कनेक्शनों की संख्या के अनुसार 7,500 यूनिट

पर प्रभाशील टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार के मान से आंकलित राशि अनुसार जमा किया जाएगा।

5.1.2 फ्लैट रेट का विकल्प नहीं चुनने वाले कृषकों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र 03 एचपी तक के कनेक्शनों हेतु 6,000 अथवा वास्तविक खपत जो भी कम हो एवं 03 एचपी से अधिक परंतु 05 एचपी तक कनेक्शनों हेतु 7,500 अथवा वास्तविक खपत की यूनिटों जो भी कम हो पर प्रभावशील टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार के मान से आंकलित राशि अनुसार जमा किया जाएगा।

5.1.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए ऊर्जा प्रभार के मद में उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना किसी खपत की सीमा के कृषक द्वारा की गई वास्तविक खपत की गई यूनिटों पर प्रभावशील टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार के मान से आंकलित राशि अनुसार जमा किया जाएगा।

5.2 मीटर किराया, फिक्सड चार्जेस हेतु प्राप्त अनुदान के व्यय की पुष्टि में उपयोगिता प्रमाण पत्र कनेक्शनों की संख्या के आधार पर प्रभावशील टैरिफ के अनुसार देय भुगतान के अनुसार आंकलित कर जमा किया जाएगा ।

कंडिका 5 के अंतर्गत जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार यदि अनुदान की कोई राशि देय अथवा शेष रह जाती है तो यथा स्थिति उसे आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रणित किया जा सकेगा ।

6. योजना के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर निर्देश ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

7. संशोधित कृषक जीवन ज्योति योजना में सम्मिलित सुविधाएँ/प्रावधान आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.